संक्षिप्त

अभिभाषक संघ ने दिया ज्ञापन

श्रीमाधोपुर। अभिभाषक संघ श्रीमाधोपुर के अध्यक्ष रामजीलाल सैनी व महासचिव दीपेंद्र कुमार भारद्वाज के नेतृत्व में संघ के सदस्यों के साथ उपखंड अधिकारी श्रीमाधोपुर के कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री का नाम के नाम लिखा ज्ञापन उपखंड अधिकारी को देते हुए ज्ञापन में मांग की है की सीकर संभाग को बहाल करते हुए यथावत रखा जाए। सैनी के अनुसार पूर्ववर्ती सरकार ने सीकर को सहुलियत के हिसाब से उपखण्डो के मध्य आमजन की पहुच एंव आवागमन के त्वरित साधनो के हिसाब से व जनभावनओ को ध्यान में रखते हुये पूर्व सरकार द्वारा सीकर को सम्भाग बनाया गया था लेकिन वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा सीकर सम्भाग को निरस्त किये जाने से सीकर जिले के समस्त उपखण्ड के आमजन को लम्बी दूरी तैय कर जयपुर जाना पडता हैं जिससे अनावश्यक धन व समय की बरबादी होती हैं। सीकर सम्भाग को निरस्त करने से जनभावनाये आहत हुयी है, इसलिये मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से निवेदन है कि सीकर को पुन: सम्भाग बनाने की कार्यवाही करे जिससे आमजन को सुलभ व सस्ता न्याय मिल सके।

ग्रामसभा आयोजित

पीपलू। उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत बनवाडा में सरपंच गिर्राज प्रजापत की अध्यक्षता में सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा आयोजित हुई। ग्राम विकास अधिकारी कुशराज सिंह ने बताया कि सामाजिक अंकेक्षण कमेटी दल ने ठााम पंचायत द्वारा कराए गए। महात्मागांधी नरेगा कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया गया। जिसमें सभी कार्यों का मौके पर सही पाए गए। इस दौरान सामाजिक अंकेक्षण दल में माया खंगार, हनुमान प्रसाद मीणा, अजयसिंह बंशीवाल, सुरेशचंद सैनी, विष्णु सैनी, पूजा महावर, कनिष्ठ सहायक रामराय मीणा, वार्ड पंच राजेंद्र शर्मा, गोविंदनारायण शर्मा, हीरालाल व कालू शर्मा सहित ग्रामीण मौजूद थे।

एक गिरफ्तार

निवाई। निवाई थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी हरिराम वर्मा ने बताया कि अपराधियों की धरपकड अभियान के तहत डिवाईएसपी मृत्यंजय मिश्रा के निर्देशन में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना निवाई के सामने से अवैध हथियार एक नंगी तलवार लेकर घूमते हुए सुभाषचन्द साहू पुत्र सुरेशकुमार निवासी अग्रवाल धर्मशाला के पीछे निवाई को गिरफ्तार करके अवैध हथियार तलवार को जब्त किया है। पुलिस ने आम्र्स एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ कर रही है।

कम्बल वितरित

पीपलू। झिराना निवासी डॉ बीएल शर्मा व पूर्व सरपंच पंकज शर्मा की मां स्वर्गीय कोशल्यादेवी शर्मा की प्रथम पुण्यतिथि तिथि पर कस्बे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को कम्बल वितरित किया गया। पूर्व सरपंच पंकज शर्मा ने बताया कि मां की प्रथम पुण्यतिथि तिथि पर अस्पताल में मरीजों को कम्बल वितरित किया गया। ताकि सर्दी से राहत मिले। कम्बल पाकर बुजुर्गो के चेहरों पर मुस्कान नजर आई। इस दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी पवन हाथीवाल, अरुण शेडिया, शोभाराम मीणा, डॉ हर्षित शर्मा, शिवम विश्वास, मोहम्मद वाहिद व पूजा बैरवा सहित कई लोग उपस्थित रहे।

अवैध हथियार लेकर घुमते गिरफ्तार

टोंक। वृताधिकारी निवाई के निर्देशो पर थानाधिकारी निवाई हरिराम वर्मा ने अवैध हथियारो की रोकथाम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए एक अवैध हथियार के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया।थानाधिकारी हरिराम ने बताया कि थाना निवाई की गठित टीम ने आरोपी सुभाष चन्द साहू पुत्र रमेश कुमार साहू उम्र 32 साल निवासह अग्रवाल धर्मशाला के पीछे निवाई को अवैध हथियार एक नंगी तलवार लेकर घुमते हुए गिरफ्तार किया जाकर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है।

नम्बर मिलाइए
9587884433

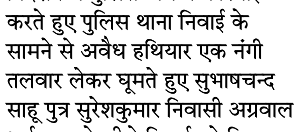

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर प्रभात फेरी 12 को

प्रभात फेरी को लेकर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित छात्र-छात्राएं व मंच के कार्यकर्ता।

निवाई। सनातन धर्म रक्षा मंच के तत्वावधान में श्री राम मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर शहर में विशाल भव्य प्रभात फेरी एवं नगर भ्रमण कार्यक्रम 12 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। प्रभात फेरी में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने हेतु सनातन धर्म रक्षा मंच के कार्यकर्ता निरंतर जुटे हुए हैं।

मंगलवार को मंच के कार्यकर्ताओं ने विद्या भारती के विद्यालय में प्रधानाचार्य गोविंदनारायण शर्मा के सानिध्य में पोस्टर विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया। मंच के कार्यकर्ता दीपेश चंवरिया ने कार्यक्रम से संबंधित संपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि 12 जनवरी को भगवान श्रीराम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की प्रथम वर्षगांठ देशभर में मनाई जा रही है। इसको लेकर शहर में भी प्रभात फेरी निकाली जाएगी। प्रभात फेरी शहर में स्थित मोरिया वाले बालाजी मंदिर से 12 जनवरी की 5:30 बजे रवाना होगी।

प्रभात फेरी बडवेश्वर महादेव मंदिर जमात, शिवाजी कॉलोनी, भगतसिंह कॉलोनी, सेवा बस्ती, झिलाय रोड, अहिंसा सर्किल, बस स्टैंड, मालियों का मोहल्ला, फूटी बावडी, नया मंदिर, बड़ा बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, गणगौरी बाजार होते हुए कंकाली माता मंदिर पहुंचेगी। जहां संतों के सानिध्य में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया जाएगा। नगर भ्रमण और प्रभात फेरी के दौरान जगह-जगह विभिन्न संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया जाएगा। इस दौरान मायाराम शर्मा, राहुल जायसवाल, लोकेश गौतम व राहुल जैन सहित विद्यालय परिवार के सभी सदस्य व छात्र-छात्राएं मौजूद थे।

चेक अनादरण के आरोपी को 1 साल का कारावास

श्रीमाधोपुर। स्थानीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या -2 पायल गौतम ने सोमवार को सुनाए गए अपने एक निर्णय में चेक अनादरण के एक आरोपी को 1 साल के कारावास से दंडित किया है तथा चेक राशि 02 लाख रूपए के लिए 03 लाख रुपये भुगतान करने के आदेश दिए हैं।

प्रकरण के अनुसार परिवादी विनोद कुमार सैनी पुत्र सुवालाल सैनी निवासी श्रीमाधोपुर ने आरोपी राजेंद्र मीणा पुत्र बाबूलाल मीणा निवासी मांचड़ा जयपुर से आवासीय योजना राजश्री एन्क्लेव बैनाड़ जयपुर में भूखंड लेने के लिए रुपए दिए थे परंतु अभियुक्त ने समय पर उक्त भूखंड नहीं देने व सौदा निरस्त कर ली गई रकम के भुगतान की एवज में आरोपी ने परिवादी को एक चेक अपने बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया शाखा जयपुर का दिनांक 01.08 2019 को देय का दिया था। परिवादी ने इस चेक को अपने बैंक खाते में लगाया जो 11.09.2019 को बाउंस हो गया। इस पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को 21.09.2019 को विधिक नोटिस भिजवाया।

मोबाइल टावर से चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

टोंक थाना पुलिस ने मोबाइल टावर से चोरी करने के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

टोंक। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान द्वारा चलाये जा रहे अपराधियों की धरपकड अभियान के तहत लाम्बाहरिसिह थाना पुलिस ने मोबाइल टावर से चोरी हुई सामान की वारदात में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी सामान बरामद किया है। लाम्बाहरिसिह थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि गत दिनो बागडी मोबाईल टॉवर से चोरी हुए कीमती सामान चोरी हुआ था।

मामले में अनुसंधान करते हुए गठित दल ने तकनीकी सहायता एवं मुखबिर की सूचना पर दो आरोपी चैनसिंह पुत्र श्यामसिंह उम्र 22 साल निवासी बैरी तहसील कोटकासिम जिला अलवर हॉल निवासी झोटवाडा जयपुर तथा जीलम खान पुत्र पप्पू खान उम्र 24 साल निवासी सुन्दरावाली थाना नगर जिला डीग हाल ईश्वर नगर कालावाड जिला जयपुर को गिरफ्तार किया है। कार्यवाही के दौरान उनके कब्जे से एक बीबीसू मशीन जब्त किया हैं।

गणतंत्र दिवस की तैयारी

कोटपूतली। जिले में गणतंत्र दिवस समारोह पूरी गरिमा के साथ समारोहपूर्वक मनाया जायेगा। इसके लिये सभी आवश्यक तैयारियां व इंतजाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिसमें जिला कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्थायें समय पूर्व सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर प्रस्तुत की जाने वाली अनेक विभागों की झांकी के लिये झांकी बनाने से पूर्व थीम अनुमोदित कराने के लिये कहा।

उन्होंने झांकियों में राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का जीवंत प्रदर्शन प्रदर्शित करने के निर्देश दिये। गणतंत्र दिवस पर झांकियों में स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, जेवीवीएनएल, पंचायती राज, ग्रामीण विकास सहित अनेक विभागों द्वारा उपलब्धियों को दर्शाती एवं जागरूकता का संदेश प्रसारित करती चलित झांकियां प्रदर्शित की जायेगी। बैठक में गणतंत्र दिवस के आयोजन स्थल एवं आयोजन के विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन राजकीय एलबीएस कॉलेज में किया जायेगा। जिसमें स्थल की साफ, सफाई, ध्वजारोहण, मंच व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, राज्यपाल के भाषण की प्रति, प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र, बेरिकेडिंग व्यवस्था, प्राथमिक उपचार, परेड, झांकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की विभिन्न विभागों के माध्यम से की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में एडीएम ओमप्रकाश सहारण, एसीईओ रामनिवास, एएसपी वैभव शर्मा सहित सभी जिला अधिकारी, कॉलेज शिक्षा तथा स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहें।

फुले संस्था के अध्यक्ष पद से शिवचरण सैनी का त्याग पत्र

फुलेरा। कस्बे में माली सैनी समाज संस्था के अधीनस्थ चल रही संस्था महात्मा ज्योतिबा फुले संस्था के नवनियुक्त अध्यक्ष शिवचरण सैनी ने अपनी ओर से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उक्त इस्तीफा माली सैनी समाज संस्था के पास विचाराधीन स्थित में है। इसी क्रम में जानकारी देते हुए शिवचरण सैनी ने बताया कि माली सैनी समाज संस्था के अध्यक्ष तेजकरण सैनी ने पत्र क्रमांक 02/2024 के अनुसार गत 26 मई 2024 को उन्हें महात्मा ज्योतिबा फुले अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। वहीं सैनी ने आगे बताया कि अभी भी संस्था के पद पर स्थिति स्पष्ट नही है क्योंकि वर्तमान अध्यक्ष पद पर दो अध्यक्ष संस्था का कार्य कर रहे है, तथा अध्यक्ष पद को लेकर विवादित स्थिति होने के कारण यह अध्यक्ष पद उन्हें स्वीकार नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि माली समाज अध्यक्ष द्वारा दिये गये नियुक्ति पत्र का भी कोई अस्तित्व नही है।

जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों को तत्परता से करें निराकरण : कलक्टर अग्रवाल

कोटपूतली। जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। जिसमें जिला कलक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों एवं ई-फाईल का समयबद्ध डिस्पोजल करने के निर्देश दिये।

उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को सम्पर्क पोर्टल, ई-फाईल डिस्पोजल में समय कम लगाने के संबंध में निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि जिले में मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं के संबंध में सभी अधिकारी अपने- अपने विभाग की भू आवंटन की प्रगति अपलोड करवायें। उन्होंने बजट घोषणाओं का त्वरित क्रियान्वयन करने के निर्देश दिये। उन्होंने शीत लहर के मध्यनजर गौशालाओं में आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने, रैन बसेरों में उपर्युक्त व्यवस्थायें सुनिश्चित करने, खुले बोरवेल एवं ट्यूबवेलों को बंद कर सर्टिफिकेट लेने, सडक दुर्घटनायें कम करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने तथा राइजिंग राजस्थान के तहत जिले में हुये एमओयू के संबंध में आ रही समस्याओं का संबंधित विभाग द्वारा निस्तारण करने, उन्होंने जेवीवीएनएल अधिशाषी अभियंता से जल जीवन मिशन तथा पीएचडी के बकाया कनेक्शन को विद्युत कनेक्शन शीघ्र उपलब्ध करवाने के लिये कहा, डीएसओ से एजेंसी तथा पैट्रोल पम्प के निरीक्षण कर रिपोर्ट कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करने, मेडिकल विभाग द्वारा आभा आईडी, आयुष्मान आरोग्य शिविरों की प्रगति तथा सडक सुरक्षा माह के अंतर्गत प्रमुख स्थानों पर चालकों तथा परिचालकों की नेत्र जांच के शिविर आयोजित करवाने तथा जनता क्लिनिक का चयन करते समय मौजूदा चिकित्सा संस्थानों को दृष्टिगत रखते हुये उपर्युक्त स्थान का चयन करने के निर्देश दिये।

मासूम बालिका के परिजनों को कलेक्टर ने एक लाख की राशि का चेक सौंपा

खैरथल। खैरथल तिजारा जिला मुख्यालय खैरथल के पडोस के गांव किरवारी में अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक मासूम 7 साल की बालिका के साथ हुई आवारा श्वानों के हमले से मृत्यु की हृदयविदारक घटना से पीडित परिवार को जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने घर पहुंचकर मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत एक लख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया।

- **मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत एक लाख की राशि का चेक प्रदान करने पीड़िता के घर पहुंचे जिला कलेक्टर किशोर कुमार।**

जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत राशि का चेक प्रदान किया।

जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने बताया कि खैरथल शहर के निकट स्थित किरवारी गांव में आवारा श्वानों के हमले से 7 वर्षीय बालिका इकराना की दुखद मृत्यु हो गई। जिला कलेक्टर ने हृदयविदारक घटना पर शोक व्यक्त करते हुए बालिका परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत एक लाख रुपए का चेक प्रदान किया।

जिला कलेक्टर ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है, प्रशासन इस कठिन समय में पीडित परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने परिजनों को हर संभव सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे है।

युवा मित्रों को अटल प्रेरक में समायोजित करवाने की मांग

युवा मित्रों को अटल प्रेरक में समायोजित करवाने की मांग को लेकर युवा मित्र संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष विकास यादव के नेतृत्व में कलक्टर कल्पना अग्रवाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा ।

कोटपूतली। जिले के सभी युवा मित्रों ने जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल को युवा मित्रों को अटल प्रेरक में समायोजित करवाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में लिखा है कि पूर्व सरकार द्वारा लगाये गये 05 हजार युवा मित्रों को वर्तमान सरकार ने बेरोजगार कर दिया है।

72 दिनों तक शहीद स्मारक जयपुर में आंदोलन भी किया गया। इस दौरान दो साथी मानसिक तनाव के कारण अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर चुके हैं। इसके बावजूद भी सरकार ने अभी तक किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है। प्रदेश के युवाओं के लिये राज्य सरकार ने 11500 अटल प्रेरक लगाने का निर्णय लिया है जो राज्य व केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। युवा मित्र संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष विकास यादव ने बताया कि यही कार्य युवा मित्र कर रहे थे। इसलिये अटल प्रेरक भर्ती में युवा मित्रों को समायोजित करते हुये 05 हजार बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवायें।

- **पांच हजार युवा मित्र बेरोजगार हो गये है**

परिवाद अन्तर्गत धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

परिवाद संख्या - 16/2020

श्रीमती शारदा सिंह बनाम भंडारी हॉस्पिटल व अन्य की डॉ. विमल कुमार गुप्ता (DM Gostroenterology) भंडारी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सैन्टर, जयपुर 138-ए वसुंधरा कालोनी गोपालपुरा बाईपास, टोंक रोड जयपुर-302018 आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती शारदा सिंह पुत्र/पुत्री श्री मुकेश कुमार कैन निवासी 223/T नियर रिनमुक्तेश्वर मंदिर ओल्ड रेलवे कॉलोनी कोटा जंक्शन कोटा (राज.) ने इस जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष एवं परिवाद पेश किया है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

आपको एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है इस नोटिस की प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करें एवं अपने बचाव में पेश करने वाले समस्त साक्ष्य एवं दस्तावेजों को पेश करें।

आपको पुन: सूचित किया जाता है कि प्रकरण की सुनवाई दिनांक 28-1-25 को 10 बजे दिन में रखी गयी है। यदि आप स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने में असफल रहे तो उपर्युक्त सुनवाई की तारीख पर परिवाद का एकपक्षीय निर्णय कर दिया जायेगा।

मोहर अदालत

लिपिक
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर प्रथम

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुतफरिक) वाद सं. 02/2024
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम मनिता शर्मा पुत्री स्व.प्रहलाद कृष्ण शर्मा जाति ब्राह्मण
विवाद स्थान जयपुर
मृतक महाश्वेता शर्मा की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 12.02.2025
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम महाश्वेता शर्मा पत्नी स्व.एस.मोहन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नं.94/173, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 12 माह 02 सन् 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 18 माह 12 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

मोहर अदालत

आज्ञा से-रीडर
एडमिनिस्ट्रेटर जनरल
राजस्थान जयपुर

नाम परिवर्तन

I, LEELAMMA GEORGE, wife of army no. 1169024A Ex Nk Late Purathum Muriyil Abraham Varghese, R/o 51/78, Mansarowar jaipur rajasthan, announces that my name and DOB incorrect in army records of my husband as LEELAMMA VARUGHESE, DOB as 20.04.1947. This name, DOB discarded, my correct name LEELAMMA GEORGE, DOB 16.10.1941.

Jyoti Shukla W/O No-15620611A Rank Hav(OPR), Rajesh Kumar Shukla 11 Guards, Pin-910911 C/O 56APO Have Change my Name From Jyoti to Jyoti Shukla, My Husband Service Records incorrect ,My Name Jyoti AndCorrect Name Jyoti Shukla Vide Affidavit No-GN037499, Date 04.01.2025

I army no JC451475A sub narpat singh S/O hanuman singh R/O plot 121 naryan residency Anand Vihar dadi ka phatak That have change my mother name from UCHHAB KANWAR (DOB 1/1/1950) is wrong entered in service record To UCHHAV KANWAR (DOB 1/1/1948) vide affidavit dated 3 jan 2025 before district notary Jaipur

मैंने भविष्य के सभी उद्देश्यों के लिए अपना नाम 'विनीता सोनी' (Vinita Soni) से बदलकर 'लक्ष्मी सोनी पत्नी दिलीप सोनी' (Laxmi Soni) रख लिया है। पता : 19 शिल्प कॉलोनी, खातीपुरा रोड, झोटवाड़ा, जयपुर-12, राजस्थान।

मेरा नाम (Gupta W/o Bhagwan Sahai Gupta) से बदलकर अपना नाम Meera Gupta W/o Bhagwan Sahai Gupta रख लिया है। भविष्य में मुझे Meera Gupta W/o Bhagwan Sahai Gupta के नाम से जाना जावे। पता- 34 A, बसंत विहार कालोनी, 80 फीट रोड़ वैशाली नगर (पश्चिम) पॉच्यावाला जयपुर।

मैंने मेरा नाम सरोज देवी जो कि मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजात में गलत अंकित हो गया। जबकि मेरा सही नाम श्रवणी देवी (SHRAWANI DEVI) पत्नी श्री पवन कुमार आयु 38 वर्ष निवासी वार्ड नं. 5 बाज्यावास दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.) है। अत: मुझे नये नाम श्रवणी देवी से जाना जावे।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण मंजू देवी व बाबूलाल जांगिड निवासीगण 111, राधकृष्ण विहार, गोकुलपुरा, झोटवाडा, जयपुर अपने पुत्र महेश जांगिड़ व अपनी पुत्रवधु संगिता जांगिड़ को अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। ये दोनो मेरे अभिभाष्यगण के कहने-सुनने में नहीं है। इनके द्वारा किये गये समस्त कृत्यों एवं संव्यवहारो के जिम्मेदार यह स्वयं होंगे। सूचित रहे।
दिनांक : 7-1-25 Satsh kharia, Advocate मो. 9571950818

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य मोहम्मद अनवार पुत्र मोहम्मद इकबाल, निवासी-2248, नीलगरों का नला, लाडली जी का खुरा, पुराना दिल्ली दरवाजा, जयपुर का पुत्र मोहम्मद अरसलान व उसकी पत्नि आलिया मेरे अभिभाष्य को आये दिन हैरान परेशान व लडाई झगडा करते है व मेरे अभिभाष्य के कहने में नहीं है अत: उनके कृत्यों से परेशान होकर मेरे अभिभाष्य द्वारा अपने पुत्र व उसकी पत्नि को अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से आज दिनांक 07.01.2025 को बेदखल कर दिया है। यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था इनसे लेनदेन, संव्यवहार करता है या कोई कोर्ट केस होता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, इसमें मेरे अभिभाष्य का किसी प्रकार का कोई लेना-देना अथवा जिम्मेदारी नहीं है। अत: सूचित रहे।
दिनांक : 07.01.2025 (फिरोज हुसैन), एडवोकेट

खोया-पाया

FLAT No. 43/22/7, स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर का मूल CONVEYANCE DEED & RPETUAL LEASE DEED, कहीं गुम हो गयी। मिलने पर सम्पर्क करे। आशा जैन - 9414391979

मकान नं. 9/77 विद्याधर नगर जयपुर के मूल आवंटन पत्र, रसीद व अन्य दस्तावेज जो हिम्मत सिंह चिड़ालिया के नाम थे। घर से सेंट्रल स्पाइन विद्याधर नगर के बीच गिर गए। मिलने पर सूचित करें। श्रीमती कांतादेवी नाटाणी - 9314272887

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक: जविप्रा / उपायुक्त जोन-01 / 2024 / डी-2324
सार्वजनिक सूचना दि. 31.12.2024
आवेदक श्री गोविन्द राजन जेठानी पुत्र श्री महादेव लाल जेठानी द्वारा दी फोरेस्ट एवन्यू सहकारी समिति की अनुमोदित योजना अशोक विहार के भूखण्ड संख्या बी -18 क्षेत्रफल 163.88 वर्गगज का लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया है। जविप्रा द्वारा भूखण्ड का पट्टा श्री बद्रीप्रसाद सांवरिया को दिनांक 14.09.2015 को दिया गया था। अपलोड रेकार्ड के अनुसार श्री बद्रीप्रसाद का दिनांक 23.10.2022 को मृत्यु होना दर्ज है तथा उनके पुत्र श्री सुरेश कुमार का देहान्त दिनांक 11.02.2019 को होना दर्ज है। उनकी मृत्यु पश्चात उनके वारिसों में से उनकी पत्नी, 2 पुत्रियां एवं एक पुत्र तथा उनके एक मृतक पुत्र की पत्नी एवं पुत्री तथा नाबालिग पुत्र की और से बतौर संरक्षिका माता द्वारा एक पंजीकृत विक्रय पत्र आवेदक के पक्ष में दिनांक 03.06.24 को निष्पादित किया गया। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था /हितधारी को कोई आपति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में कार्यवाही निष्पादित कर दी जावेगी। समय सीमा पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। सूचित रहें।
उपायुक्त जोन 1, जविप्रा, जयपुर

नाम परिवर्तन

मैं अविनाश अग्रवाल पुत्र श्री मनोज कुमार गुप्ता उम्र 29 साल जाति महाजन नि. मोहन नगर, हिण्डौन सिटी, जिला करौली राजस्थान का रहने वाला हूं यह कि मेरे पिताजी का वास्तविक नाम मनोज कुमार गुप्ता जबकि अन्य दस्तावेजों में मेरे पिताजी का नाम गलती से मनोज अग्रवाल हो गया है जो कि गलत है। मेरे पिताजी का सही नाम मनोज कुमार गुप्ता है भविष्य में मेरे पिताजी का नाम इसी नाम से जाना जावें।
हस्ताक्षर- अविनाश अग्रवाल

कार्यालय उपायुक्त सिविल लाईन जोन, नगर निगम जयपुर हैरिटेज
क्रमांक:-एफ-56 () सि.ला.जो./नविज/2024/3322
दिनांक:-07/01/2025
भूखण्ड संख्या 93, बड़ोदिया कच्ची बस्ती जयपुर का पट्टा जयपुर नगर निगम द्वारा शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि का पट्टा श्री हरि नारायण शर्मा पुत्र श्री हरफुल के नाम से जारी किया गया था। जिसके पश्चात श्री हरि नारायण शर्मा द्वारा जरिये अपंजीकृत वसीयतनामा द्वारा श्री योगेश कुमार पतालिया को वसीयत की गयी उक्त वसीयतनामा के आधार पर उक्त भूखण्ड को नाम हस्तांतरण श्री योगेश कुमार पतालिया पुत्र श्री हरि नारायण शर्मा के नाम से जारी किया जाना है। किसी संस्था, फर्म, कम्पनी व किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम हस्तान्तरण के संबंध में आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में सात दिवस में आपत्ति पेश करे अन्यथा सात दिवस पश्चात उक्त भूखण्ड में नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त
सिविल लाईन जोन, नगर निगम जयपुर हैरिटेज

प्रपत्र संख्या-7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 422/2024
चूंकि प्रार्थी मेनका शर्मा पत्नी श्री उमेश शर्मा निवासी 130, परमहंस कॉलोनी, बंधु नगर, सीकर रोड विद्याधरनगर, जयपुर में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की बात 17 (1) के अन्तर्गत पितामह फाउण्डेशन कार्यालय पता 130. परमहंस फॉलोनी बन्धू नगर सीकर रोड़ विद्याधरनगर जयपुर में राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है। में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से सात दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जायेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 27/12/24 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 4/3/25
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

COLLEGE OF AGRICULTURE
(S.K.N. Agriculture University-Jobner), Bhusawar (Weir) Bharatpur (Rajasthan)-321406
No. : F.( )/Dean-COAB/2025/796 Dated :- 04/01/2025
NOTICE INVITING BID
Bid for open tender regarding Beds for Hostel are invited from interested bidders upto 11 AM, 15.01.2025. other particulars of the bid may be visited on the procurement portal **(http://sppp.raj.nic.in)** of the state or **www.sknau.ac.in** University website.
NIB code SKN2425A0290 and UBN is SKN2425GSOB00293
Raj.Samwad/C/24/9933 DEAN

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
न्यू बस स्टेण्ड बहरोड़ शाखा, बीआरके प्लाजा, वाई नं. 15, पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास, न्यू बस स्टेण्ड, बहरोड़, अलवर राजस्थान 301701, ई-मेल: vjbehr@bankofbaroda.co.in

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
''परिशिष्ट-IV-क'' [नियम 8(6) का परन्तुक देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।
आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी है, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जैसी है जहां है", "जो है जैसी है" और "जितनी भी उपलब्ध है"** के आधार पर **बैंक ऑफ बड़ौदा,** प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि नीचे उल्लेखित खातें की वसूली हेतु बेचा जाएगा। ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों/प्रतिभूत आस्तियों/बकायों/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की दिनांक व समय, धरोहर राशि एवं बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे वर्णित है-

क्रं./लोट सं.	ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं के नाम एवं पते	ज्ञात संपत्ति के साथ अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो	कुल बकाया राशि मांग पत्र के अनुसार	ई-नीलामी की दिनांक / ई-नीलामी का समय प्रारम्भ समय से समाप्ति समय	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (ईएमडी) / बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (सांकेतिक/ वास्तविक)	संपत्ति निरीक्षण की दिनांक व समय
1.	**श्री कृष्ण कुमार शर्मा एवं सह-ऋणी श्रीमती भाग्यश्री पत्नी श्री कृष्ण कुमार शर्मा** बैंक के पास, दांतली, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थान 303107	श्री कृष्ण कुमार शर्मा के नाम साम्यिक बंधक आवासीय फ्लैट नं. सी-12 जो तीसरी मंजिल, 3 बीएचके, एल्डको ईडेन पार्क ग्रुप, आवासीय प्लॉट नं. 239, रीको नीमराणा, जिला अलवर, राजस्थान 301705 पर स्थित है, जिसका बिल्ड अप एरिया 1007.2 वर्ग फीट एवं कारपेट एरिया 1244 वर्ग फीट है। सीमाएं- पूर्व: फ्लैट नं 03, पश्चिम: बालकनी, उत्तर: प्रवेश द्वार एवं फ्लैट नं. 11, दक्षिण: फ्लैट नं. 12(ए) अन्य ऋण भार: ज्ञात नहीं	रूपये 27,80,381/- दिनांक 21.04.2024 को बकाया (दिनांक 21.04.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं आगे का ब्याज व अन्य वसूली खर्चे इत्यादि।	13.02.2025 / दोपहर 02:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक	आरक्षित मूल्य- रूपये 25,19,000/- / धरोहर राशि- रूपये 2,51,900/- / बोली वृद्धि राशि- रूपये 20,000/-	सांकेतिक	10.02.2025 दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए वेबसाइट अर्थात https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm एवं ऑनलाईन नीलामी पोर्टल https://baanknet.com देखें। इसके अलावा संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से मोबाईल नं. 8905990410 पर संपर्क कर सकते है।
दिनांक: 04.01.2025
स्थान: अलवर
हस्ता.
प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा